


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/2008

जयपुर, दिनांक 4.2.2020


::आज्ञा::

श्री संदीप भारद्वाज, कनिष्ठ विधि अधिकारी, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, क्रिमिनल सैल, शासन सचिवालय, जयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजस्थान सिविल सेवा (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये) विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2011 के अन्तर्गत महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा किया जाता है।

आज्ञा से

4-2-2020
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. शासन सचिव, विधि वादकरण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में श्री संदीप भारद्वाज को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग को उनके पत्र दिनांक 24.01.2020 के क्रम में।
6. श्री संदीप भारद्वाज को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को अविलम्ब भिजवाएं।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


4-2-2020
संयुक्त शासन सचिव